



Govt. of Jharkhand

Government Polytechnic, Dhanbad

(Higher & Technical Education Department, Jharkhand)

P.O.-B. Polytechnic, Dhanbad, Jharkhand 828130

पत्रांक.....

/ धनबाद, दिनांक.....

सूचना

उपायुक्त सह-जिला दंडाधिकारी, धनबाद (अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद) का कार्यालय पत्रांक-226-28 / नियो०, दिनांक— 05.07.2021 के आलोक में संस्थान से Pass out वैसे छात्र/छात्राएँ (जो किसी भी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़े हुए हो), जिनका नियोजनालय में निबंधन हो तथा आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी) को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या— 5/स्था०(नि�०) / यो०-1001/2020-273 (नि�०) दिनांक—19.03.2021 के द्वारा “मुख्य मंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि के रूप में ₹० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र जाँच कमिटी द्वारा चयनित आवेदकों को उपलब्ध कराया जाना है, आवेदक संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक विवरणी भरने के उपरान्त निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर हार्ड कॉपी संस्थान के निबंधन शाखा में दिनांक— 31.07.2021 तक जमा करेंगे :—

1. आधार संख्या का छायाप्रति।
2. बैंक खाता संख्या का छायाप्रति।
3. Passing सर्टिफिकेट एवं Marks Sheet की छायाप्रति।
4. नियोजनालय निबंधन कार्ड संख्या की छायाप्रति।
5. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत जाति /आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

ह०/-

प्रभारी प्राचार्य

राजकीय पोलिटेक्निक, धनबाद

ज्ञापांक..... ७६४ / धनबाद, दिनांक..... १५।०७।२०२१

प्रतिलिपि:- मुख्य सूचना—पट्ट/संस्थानीय वेबसाईट/एकेडमिक शाखा/निबंधन शाखा/परीक्षा शाखा/सभी संबंधित छात्र/छात्रओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालनार्थ।

प्रभारी प्राचार्य

राजकीय पोलिटेक्निक, धनबाद

Annexure-I

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र

(विहित प्रपत्र)

आवेदक/आवेदिका का नाम :—

पिता/पति का नाम :—

माता का नाम :—

स्वअभिप्राणित फोटो
(तिथि सहित)

जन्म तिथि :—

(नोट— नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष) (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)

लिंग (पुरुष/महिला) :—

कोटि :—

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग) :— हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि :—

स्थायी पता (पिन कोड सहित) :—

वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :—

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न) :—हाँ/नहीं

मोबाईल सं० :—

ई—मेल :—

आधार सं० :—

आधार लिंक बैंक खाता सं० :—

बैंक का नाम :—

IFSC कोड :—

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न) :—

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विभिन्न का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :— राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न) :—

शपथ—पत्र

- झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
 - किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
 - किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।
- मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शत प्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

उपायुक्त - सह- जला दंडाधिकारी का कार्यालय, धनबाद |

(अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद)

(email id- sreedhanbad@gmail.com)

पत्रांक - ५५६-७८/नियो०

प्रेषक,

उपायुक्त,
धनबाद |

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, धनबाद
नगर आयुक्त, धनबाद
जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद
जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद
श्रम अधीक्षक सह जिला कौशल विकास पदाधिकारी, धनबाद
जिला खेल पदाधिकारी, धनबाद
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, धनबाद
रजिस्ट्रार, बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धनबाद/ बाघमारा/ गोविंदपुर
प्राचार्य, पॉलटेक्नीक संस्थान, धनबाद/ निरसा/ भागा

धनबाद, दिनांक - ०५/०७/२०२१

विषय - “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग - श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची का संकल्प संख्या - 273(नि०), रांची, दिनांक - 19/03/21 का संकल्प।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण आई० टी० आई०, पोलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निर्बंधित हो, को एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई योजना “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

आप सभी अपने-अपने विभाग/ संस्थान के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से aligned हो, के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं से विहित प्रपत्र (Annexure - I) में आवेदन प्राप्त कर इसकी सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट, नियोजनालय निर्बंधन कार्ड संख्या एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं का दस्तावेज सहित) Soft एवं Hard Copy में अनुशंसा सहित नियोजन कार्यालय को प्रति प्राप्त कराते हुए जिला स्तरीय समिति को भेजना सुनिश्चित करेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारीयों को आरक्षण संबंधित लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई योजना का विस्तृत स्वरूप एवं आवेदकों के द्वारा उक्त से संबंधित आवेदकों के आवेदन का विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नियोजन पदाधिकारी, धनबाद (श्री प्रत्यूष शेखर, मो० - 7992265991) से संपर्क किया जा सकता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना का क्रियान्वयन दिये गये निदेश के आलोक में शुरू करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

०१०११२

उपायुक्त,
धनबाद



सं०सं०५/स्था०(नि०)/यो०-१००१/२०२०- २७३ (नि०)
 झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

संकल्प

विषय :- राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार (लघु अवधि/दीर्घ अवधि) जो किसी भी रोजगार/ स्वरोजगार से नहीं जुड़े हो, को सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष २०२०-२१ से नई योजना “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं, जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों, को एक (०१) वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२०-२१ से नई योजना “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के अन्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई योजना का स्वरूप निम्न प्रकार से है :-

योजना का उद्देश्य :- राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो, को रोजगार से जुड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराना है।

योग्यता :-

- राज्य के विभिन्न विभागों^१ द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।

^१विभिन्न विभाग :- (i) ग्रामीण विकास विभाग, (ii) उद्योग विभाग, (iii) नगर विकास एवं आवास विभाग, (iv) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, (v) पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग, (vi) महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, (vii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, (viii) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा (ix) श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

अभियंता

प्रमुख

पात्रता :-

- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् आवेदक न तो सार्वजनिक / निजी क्षेत्र से जुड़े हों और न ही स्वरोजगार से जुड़े हों)।
- आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।
- योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्त्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।
- झारखण्ड राज्य के निवासी / अधिवास (domicile) हो।
- स्वयं का वैध बैंक खाता / आधार कार्ड हो।
- वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।

प्रोत्साहन राशि :-

- उपर्युक्त अहर्त्ताधारी आवेदकों के लिए ₹0 5,000/-प्रति वर्ष, एक वर्ष के लिए (विधवा / परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)।

योजना का क्रियान्वयन:- “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” हेतु जिस विभाग से पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि पात्रता रखने वाले आवेदकों से विहित प्रपत्र (Annexure-I) में आवेदन प्राप्त कर इसकी सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं का दस्तावेज सहित) soft एवं hard copy में अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तरीय समिति पात्रता के आलोक में निर्णय लेगी कि आवेदक की योग्यता सही है अथवा नहीं। जिला स्तरीय समिति किसी आवेदक का दोहरीकरण नहीं हो, इसकी भी जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। योग्य आवेदक के खाते में राशि उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला स्तरीय समिति की होगी। जिला स्तरीय समिति, स्वीकृत आवेदकों की सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं का दस्तावेज सहित) soft एवं hard copy में संबंधित नियोजनालय के पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित नियोजनालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार के माध्यम से चयनित आवेदकों के बैंक खाता में राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

निबंधन वरीयता में एक ही तिथि को निबंधित आवेदकों के चयन में समस्या आने पर निम्नांकित प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी :—

- (क) जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा।
- (ख) यदि एक ही जन्म तिथि के कई उम्मीदवार हों तो वैसी स्थिति में वांछनीय योग्यता पहले प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ग) जिला जाँच समिति आशयकतानुसार आवेदक के मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

[Signature]

[Signature]

जाँच कमिटी निम्नवत् गठित की जायेगी :-

- | | | |
|--|---|------------|
| ● उपायुक्त | - | अध्यक्ष |
| ● उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| ● जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| ● जिला कौशल पदाधिकारी | - | सदस्य |
| ● जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |

सहायता राशि के भुगतान संबंधी कार्यों का अनुश्रवण संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी (जिस जिले में एक से ज्यादा नियोजन पदाधिकारी हो वहाँ के संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन) किसी एक नियोजन पदाधिकारी को नामित करेंगे) के द्वारा किया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि हस्तान्तरण की प्रक्रिया :-योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि, जाँच कमिटी द्वारा चयनित आवेदकों को उपलब्ध कराने हेतु सभी नियोजनालयों को उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जाएगी। नियोजनालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि चयनित आवेदकों को अनुमान्य राशि का भुगतान नियमानुसार कोषागार के माध्यम से उनके बैंक खाता में सम्प्रभुता हो जाय।

योजना में संशोधन करने की शक्तियाँ—

इस योजना में संशोधन करने की शक्तियाँ सरकार में निहित होगी।

लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित करना—

जनता की सूचना के प्रयोजनार्थ नियोजन कार्यालय के सूचना पट, विभागीय वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त स्थल पर लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित किया जा सकता है।

3. यह योजना संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

4. योजना का कार्यान्वयन एवं संचालन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाएगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-12.03.2021 की बैठक में मद सं-15 में दी गई है।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

(भूमिका)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17/3/2021
(प्रधीण कुमार ठोप्पो)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :—5 / स्था०(नि०) / यो०—1001 / 2020— 273(नि०) राँची, दिनांक :— 19/03/2021

प्रतिलिपि :—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

*भाष्यम्
19/3/2021*

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :—5 / स्था०(नि०) / यो०—1001 / 2020— 273(नि०) राँची, दिनांक :— 19/03/2021

प्रतिलिपि :—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग (योजना/वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

*भाष्यम्
19/3/2021*

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :—5 / स्था०(नि०) / यो०—1001 / 2020— 273(नि०) राँची, दिनांक :— 19/03/2021

प्रतिलिपि :—प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग/उद्योग विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने स्तर से जिला स्तरीय पदाधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।

*भाष्यम्
19/3/2021*

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :—5 / स्था०(नि०) / यो०—1001 / 2020— 273(नि०) राँची, दिनांक :— 19/03/2021

प्रतिलिपि :—निर्देशक कोषांग, निर्देशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/संयुक्त निर्देशक (प्रशिक्षण)/उप निर्देशक (प्रशिक्षण)/सहायक निर्देशक (प्रशिक्षण)/प्राचार्य, औ०प्रशिं०सं० (लघु एवं महिला सहित)/उप निर्देशक (नियोजन)/सहायक निर्देशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी उप निर्देशक (नियोजन)/सहायक निर्देशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी, झारखण्ड को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने स्तर से योजना का वृहत रूप से प्रचार—प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।

भाष्यम्

*भाष्यम्
19/3/2021*

सरकार के सचिव